रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ज्येष्ठ 3, 1940
No. 337] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/JYAISTHA 3, 1940

गृह मंत्रालय
(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2018

सा.का.नि. 479(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो निगरानी सहायक (समूह–ग पद) भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, एतद्द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में निगरानी सहायक के पद पर भर्ती की प्रकिया का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों को गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (निगरानी सहायक) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल** :— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, और अन्य अर्हताएं, आदि** :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निगरानी सहायक	60*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	लेवल–4 रु. 25500–81100	लागू नहीं होता ।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है ।) **टिप्पण** 1– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–क मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रानिक्स या संचार या दूरसंचार इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा या डिग्री।	लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति** : ऐसे हवलदार, जिन्होंने उस श्रेणी में 21700–69100 रू. के वेतन मैट्रिक्स में लेवल 3 में पॉंच वर्ष की नियमित सेवा की है और जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान (गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन विज्ञान) में 10+2 उत्तीर्ण हों। **टिप्पण 1** : प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित श्रेणी अथवा पद पर विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के परिप्रेक्ष्य में तैयार की जाएगी । **टिप्पण 2** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी की ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहॉं उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तक जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन** : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के ऐसे अधिकारी:— **(क)** **(i)** जो मूल काडर या विभाग में नियमित सेवा पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष का अनुभव है ; या **(ii)** जिन्होंने 21700–69100 रू. के वेतन मैट्रिक्स में लेवल 3 या समकक्ष में मूल काडर या विभाग में पॉंच वर्ष की नियमित सेवा की है और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में पॉंच वर्ष का अनुभव है, और **(ख)** जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान (गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन विज्ञान) में 10+2 उत्तीर्ण हों। **टिप्पण–1** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण–2** : प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
1. समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित शामिल होंगे :– (1) उप निदेशक (प्रशासन) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो — अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक (प्रशासन) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो — सदस्य	लागू नहीं होता ।

(3) अधीक्षक — सदस्य **2. समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित शामिल होंगे :–** (1) उप निदेशक (प्रशासन) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो — अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक (प्रशासन) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो — सदस्य (3) अधीक्षक — सदस्य	

[फा. सं. I–12014/39/2017–एन सी बी–II]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव